

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर

पीठासीन अधिकारी:- एन.एम. पहाड़िया, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, धौलपुर

विविध प्रार्थना पत्र नम्बर(मुकदमा नम्बर):- 57/2018

(RCMS No. 2018/00091)

उनवान:-

1. सचिव, सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, धौलपुर _____ प्रार्थी

बनाम

1. प्रेमसिंह पुत्र श्री कन्हैया जाति गूर्जर निवासी गांव मौरेधां तहसील व जिला
धौलपुर _____ अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 99 व 103 राज0
सह0सोसायटी अधिनियम 2001 के तहत ऋणी
सदस्य की बैंक में रहन सम्पत्ति को बैंक के
पक्ष में अन्तरित करने बाबत।


उपस्थिति:-

प्रार्थी की ओर से:- श्री फरमान वेग, प्रतिनिधि बैंक

निर्णय दिनांक:- 13.08.2018

निर्णय

प्रार्थी बैंक द्वारा एक प्रार्थना पत्र राजस्थान सह. सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा बैंक से लिए गए ऋण की समय पर अदायगी नहीं करने के कारण अप्रार्थी के विरुद्ध वर्तमान में 247514/- रुपये की राशि बकाया निकल रही है। इस बकाया अवधिपार राशि की वसूली हेतु प्रार्थी द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 99 के तहत नोटिस जारी कर अधिनियम की धारा 100 के तहत आदेश जारी कर ऋण की सुरक्षा स्वरूप बैंक के पक्ष में रहन की गई कृषि भूमि की समय-समय पर 3-4 बार नीलामी कार्यवाही की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान किसी भी क्रेता द्वारा बोली नहीं लगाये जाने के कारण रहन शुदा कृषि आराजी की नीलामी नहीं हो पाई जिसके कारण बैंक की बकाया ऋण राशि की वसूली संभव नहीं हो पा रही है। राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत जो सम्पत्ति क्रेताओ के अभाव में नहीं बेची जा सके उस सम्पत्ति को सम्बन्धित संस्था की सहमति पर सम्बन्धित संस्था को अन्तरण करने के अधिकार जिला कलक्टर को उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त किये गये है। बैंक के प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 15.06.2017 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी अप्रार्थी की रहन शुदा कृषि भूमि जो क्रेताओ के अभाव में नहीं बेची जा सकी है, को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व 99 के अनुसार अपने नाम अन्तरण कराने हेतु सहमत है। अतः बैंक हितो को ध्यान में रखते हुए प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव एवं अधिनियम की धारा 103 व नियम 99/100 के प्रावधानो के अन्तर्गत



(नन्मल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

आदतन ऋण अदा नही करने वाले अप्रार्थी की बैंक में रहन शुदा कृषि आराजी जो नीलामी कार्यवाही में क्रेताओ के अभाव में नही बेची जा सकी, को प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरण (Transfer) किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को बकाया ऋण राशि जमा कराने हेतु नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि यदि अप्रार्थी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।

अप्रार्थी को जारी नोटिस की तामील विधिवत् रूप से कराई गई। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये।

प्रार्थी बैंक ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कार्यालय टिप्पणी, नोटिस दिनांक 15.12.10, डिक्री आदेश 21.02.2011, निष्पादन आदेश दिनांक 4.4.2011, विक्रय की उद्घोषणा दिनांक 10.04.14, 09.05.17, मांग के नोटिस, कृषि भूमि नीलामी सूचना की प्रति, रहननामा की प्रति, जमाबन्दी सम्बत् 2071 से 2074 ग्राम मौरेंधा पेश की।


प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि की बहस सुनी गई। बैंक के प्रतिनिधि ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा बैंक से लिए गए ऋण की समय पर अदायगी नही करने के कारण अप्रार्थी के विरुद्ध वर्तमान में 247514/- रुपये (जिसमें से अवधि पार असल 98318/- रुपये, ब्याज 113253/-रुपये, द0ब्याज 19575/- रुपये वसूली व्यय 16368/- रुपये) की राशि बकाया निकल रही है। इस बकाया राशि की वसूली हेतु अप्रार्थी को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के नियम 99 के तहत नोटिस जारी कर अधिनियम की धारा 100 के तहत आदेश जारी कर ऋण की सुरक्षा स्वरूप बैंक के पक्ष में रहन की गई कृषि भूमि की समय-समय पर 3-4 बार नीलामी कार्यवाही की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान किसी भी क्रेता द्वारा बोली नही लगाने के कारण रहन शुदा कृषि आराजी की नीलामी नही हो पाई जिसके कारण बैंक की बकाया ऋण राशि की वसूली संभव नही हो पाई। बैंक के प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 15.06.2017 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अप्रार्थी की रहन शुदा कृषि भूमि जो क्रेताओ के अभाव में नही बेची जा सकी है, को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व नियम 99 के अनुसार प्रार्थी अपने नाम अन्तरण कराने हेतु सहमत है। अतः बैंक हितो को ध्यान में रखते हुए प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव एवं अधिनियम की धारा 103 व नियम 99/100 के प्रावधानो के अन्तर्गत अप्रार्थी की बैंक में रहन शुदा कृषि आराजी खसरा नम्बर 443 रकवा 1.13 बीघा, खसरा नम्बर 452 रकवा 1.10 बीघा, खसरा नम्बर 453 रकवा 1.12 बीघा, खसरा नम्बर 460 रकवा 1 विस्वा, खसरा नम्बर 529 रकवा 13 विस्वा, किता 5 रकवा 5.09 विस्वा का 1/3 भाग खसरा नम्बर 542 रकवा 2.03 बीघा किता 1 रकवा 2.03 बीघा का 1/6 भाग, खसरा नम्बर 533 रकवा 1 बीघा, खसरा नम्बर 534 रकवा 16 विस्वा किता 2 रकवा 1.16 का 1/3 भाग, खसरा नम्बर 536 रकवा 1.07 बीघा किता 1 रकवा 1.07 बीघा का 7/24 भाग, खसरा नम्बर 459 रकवा 2.12 बीघा, खसरा नम्बर 543 रकवा 1.17 बीघा किता 2 रकवा 4.09 बीघा का 1/3 भाग कुल किता 11 रकवा 04 बीघा 11 विस्वा बांके ग्राम मौरेंधा तहसील व जिला धौलपुर जो नीलामी कार्यवाही में क्रेताओ के अभाव में नही बेची जा सकी, को प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरण (Transfer) किया जावे।

(नन्मले पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

प्रार्थी सचिव भूमि विकास बैंक लिमिटेड धौलपुर के प्रतिनिधि की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अप्रार्थी द्वारा बैंक ऋण की बकाया राशि 247514/- रुपये जमा नहीं कराई है। तथा अप्रार्थी की बैंक में रहन शुदा सम्पत्ति आराजी खसरा नम्बर 443 रकवा 1.13 बीघा, खसरा नम्बर 452 रकवा 1.10 बीघा, खसरा नम्बर 453 रकवा 1.12 बीघा, खसरा नम्बर 460 रकवा 1 विस्वा, खसरा नम्बर 529 रकवा 13 विस्वा, किता 5 रकवा 5.09 विस्वा का 1/3 भाग खसरा नम्बर 542 रकवा 2.03 बीघा किता 1 रकवा 2.03 बीघा का 1/6 भाग, खसरा नम्बर 533 रकवा 1 बीघा, खसरा नम्बर 534 रकवा 16 विस्वा किता 2 रकवा 1.16 का 1/3 भाग, खसरा नम्बर 536 रकवा 1.07 बीघा किता 1 रकवा 1.07 बीघा का 7/24 भाग, खसरा नम्बर 459 रकवा 2.12 बीघा, खसरा नम्बर 543 रकवा 1.17 बीघा किता 2 रकवा 4.09 बीघा का 1/3 भाग कुल किता 11 रकवा 04 बीघा 11 विस्वा बांके ग्राम मौरेधा तहसील व जिला धौलपुर को जरिये नीलामी 3-4 बार विक्रय करने हेतु कार्यवाही की गई किन्तु क्रेताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति नहीं बेची जा सकी है। न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को बैंक की उक्त राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की विधिवत् तामील अप्रार्थी पर करवाई गई किन्तु बावजूद तामील नोटिस अप्रार्थी द्वारा बकाया राशि प्रार्थी बैंक में जमा नहीं करवाई और नाही न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया।

अतः न्याय के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त रहन शुदा आराजी को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड धौलपुर के पक्ष में अन्तरित (Transfer) किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। सम्बन्धित तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि नियमानुसार अप्रार्थी की उपरोक्त आराजी को प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरित (Transfer) किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एन.एम.पहाडिया)
जिला कलक्टर, धौलपुर
जिला कलक्टर
धौलपुर